

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी §
सोमवार, 20 जून, 1994 / 30 ज्येष्ठ, 1916 §शक§

संख्या 96

सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

अतिरिक्त पुलिस आड्डक्ट, संसद मार्ग, नई दिल्ली का अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित दिनांक 12 जून, 1994 का निम्नलिखित पत्र दिनांक 13 जून, 1994 को प्राप्त हुआ :-

" सर्वश्री टेक चन्द शर्मा, सुकेश शर्मा और जय किशन विधायकों को उनके अन्य पार्टी सदस्यों के साथ दिनांक 12 जून, 1994 को पूर्वाह्न 10-40 बजे पुलिस द्वारा दिये गये विधि सम्मत निदेशों की अवज्ञा करने के लिये संसद मार्ग से दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबन्द किया गया था और उसी दिन अर्थात् 12-6-94 को उन्हें थाना पार्लियामेन्ट स्ट्रीट से पूर्वाह्न 10-50 बजे रिहा कर दिया गया ।

§ पी. एन. गुप्ता §
सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Monday, June 20, 1994/Jyestha 30, 1916 (Saka)

No.96

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated the 12th June, 1994 addressed to the Speaker, Delhi Vidhan Sabha, from the Asstt. Commissioner of Police, Parliament Street, New Delhi was received on 13th June, 1994 :-

"Sarva Shri Tek Chand Sharma, Mukesh Sharma and Jai Kishan, M.L.As alongwith their other party workers were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978, from Sansad Marg for not obeying the lawful directions given by the Police at 10.45 A.M. on 12th June, 1994 and were released at 10.50 A.M. from Police Station Parliament Street, New Delhi the same day i.e. 12.6.1994."

P.N. GUPTA
SECRETARY